भारत के अपराधी राजनीतिज्ञों के लिए पैसा, ताकत और बाज़ार
Money, Muscle, and the Market for India's Criminal Politicians

मिलन वैष्णव
Milan Vaishnav
February 13, 2012

इस महीने जब मतदाता भारत के पाँच राज्यों में होने वाले चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, चुनावी अखाड़े में उतरे "अपराधियों" पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है. शायद यह समय का ही तकाज़ा है कि आधुनिक भारतीय राजनीति में सबसे अधिक उद्धृत आँकड़े यही हैं कि एक चौथाई से अधिक वर्तमान सांसद आपराधिक मामलों में फँसे हैं. राज्य के स्तर पर यह संख्या लगभग बीस प्रतिशत हो सकती है. फिर भी भारतीय राजनीति के इन लोगों के भद्दे जीवन चरित के ब्यौरों पर इतना ध्यान देने के बावजूद भी हैरानी की बात यह है कि हम इस तथ्य का बारीकी से विश्लेषण करने के लिए भी तैयार नहीं हैं. आखिर ये राजनीतिक दल आपराधिक मामलों में फँसे उम्मीदवारों को टिकट देते ही क्यों हैं? मतदाता उन्हें वोट क्यों देते हैं? और भारतीय लोकतंत्र के लिए इसका क्या मतलब है?

इस संबंध में किए गए व्यावहारिक मूल्यांकन को इस तथ्य से काफ़ी मदद मिली है कि सन् 2003 से उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सभी उम्मीदवार सार्वजनिक रूप से अपने लंबित आपराधिक मामलों और वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का खुलासा करें. इन आँकड़ों पर काम करते हुए हम अपराधी राजनीतिज्ञों के चयन के बारे में कुछ बुनियादी पैटर्न स्थापित करने लगे हैं. परंतु तुच्छ और राजनीति से प्रेरित आरोपों से बचने के लिए मैं केवल "गंभीर" आरोपों वाले मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा ; इसमें चुनावी (अर्थात् एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने जैसे) मामलों से जुड़े या राजनीतिज्ञों की रोज़मर्रे की हरकतों (अर्थात् गैर-कानूनी तौर पर इकट्ठा होना) जैसे प्रकरणों के उल्लंघन के मामले शामिल नहीं हैं.

भारत के राजनीतिक दलों के पास संभावित उम्मीदवारों की पूरी सूची रहती है,फिर भी क्या वजह है कि वे आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को ही चुनते हैं. पैसा तो ज़ाहिर तौर पर इसका मात्र एक पहलू है. यह जगजाहिर है कि भारत में चुनाव काफ़ी महँगे हो गए हैं, क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव-प्रचार के लिए,मतदाताओं से संपर्क करने के लिए और वोट खरीदने के लिए उन उम्मीदवारों पर ही दाँव लगाते हैं जो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होते हैं और जो पार्टी के खजाने पर सेंध नहीं लगाते हैं. इस दृष्टि से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त उम्मीदवार ही सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं. यदि आप 2003 और 2009 के बीच हुए राज्यों के

चुनावों में भाग लेने वाले 45,000 से अधिक उम्मीदवारों की संपत्ति की ओर एक नज़र दौड़ाएँ तो पाएँगे कि साफ़-सुथरी छवि वाले उम्मीदवार की निजी संपत्ति औसतन लगभग 400,000 रुपए होती है, जबकि दोषी पाए गए उम्मीदवार की संपत्ति औसतन लगभग 1.1 मिलियन रुपए होती है. राजनीतिक दल आंशिक रूप में अपराध (अर्थात् बलप्रयोग करने की ताकत) को महत्व देते हैं,क्योंकि इससे उन्हें पैसे के अलावा भी अतिरिक्त लाभ मिलता है.

ईमानदारी से देखें तो पैसा इसका आंशिक उत्तर ही है. वित्तीय संसाधनों की भूमिका से यह साफ़ हो जाता है कि राजनीतिक दल आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को आखिर गले क्यों लगाते हैं, लेकिन यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये राजनीतिक दल इन उम्मीदवारों को कहाँ से खड़ा करते हैं और मतदाता इन्हें वोट क्यों देते हैं. इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें भारतीय राजनीति के चरित्र को समझना होगा. जैसा कि राष्ट्रीय दल के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि "राजनीतिक दल अपराधियों का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि जनता में उनकी काफ़ी "चलती" है." लोकप्रिय और जाति पर आधारित समर्थन जुटाने के लिए उम्मीदवारों की इस "चलती" योग्यता के दोनों अर्थ हैं,शाब्दिक और आलंकारिक.

जिन क्षेत्रों में सामाजिक भेदभाव काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर इन उम्मीदवारों की आपराधिक छवि से मतदाताओं को यह विश्वास हो जाता है कि उनके सजातीय बंधुओं और समर्थकों के हितों को संरक्षण देने में वे समर्थ हैं. इस तथ्य की स्थापना तीन स्पष्ट मानदंडों से की जा सकती है. सबसे पहले तो उम्मीदवारों की आपराधिक छवि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वह अपने लोगों के हितों के अनुरूप नियमों को बदलवाने के लिए इच्छुक भी रहता है और सक्षम भी है. उदाहरण के लिए अपराधी उम्मीदवार अपने समुदाय के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए कानून से ऊपर उठकर भी साधनों का उपयोग करने के लिए इच्छुक रहता है. जैसे वह ज़मीनी विवादों में हस्तक्षेप कर सकता है या फिर सार्वजनिक लाभ के वितरण के मामले में अपने प्रभाव का उपयोग कर सकता है. दूसरा मानदंड यह है कि उम्मीदवार की आपराधिक छवि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से लोहा लेने के लिए किलेबंदी का काम कर सकती है. स्थानीय वर्चस्व स्थापित करने के लिए गतिशील प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए उम्मीदवार "बलप्रयोग" करने में भी नहीं झिझकते. इस प्रकार वे मतदाताओं को लाभ दिलवा सकते हैं बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वियों को बलप्रयोग और धमकी देकर दूर खदेड़ भी सकते हैं. तीसरा मानदंड यह है कि उम्मीदवार की आपराधिक छवि से मतदाता को अक्सर यह भरोसा हो जाता है कि वे न केवल व्यक्तिगत तौर पर आर्थिक रूप से समृद्ध हैं बल्कि किसी भी उपाय से कुछ भी करने में आगा-पीछा नहीं करते और इस प्रकार वे सामाजिक सुरक्षा चक्र के रूप में काम करते हैं.

यदि सामाजिक भेदभाव वाले इलाकों में अपराधी उम्मीदवारों से सचमुच ही मतदाताओं को लाभ होता है तो इसका असर उन इलाकों से खड़े किए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची पर भी तो पड़ता होगा. हालाँकि इसका मूल्यांकन करना बहुत कठिन है. आइए इसे समझने के लिए हम अनारक्षित और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के अंतर पर विचार करते हैं. आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में उम्मीदवारों की सूची उन प्रत्याशियों तक सीमित रहती है जो आरक्षित समुदायों के होते हैं,लेकिन वोट देने का अधिकार सभी मतदाताओं को होता है. किसी खास समुदाय से जुड़े होने की पहचान और विजेता उम्मीदवारों की पूर्व-निर्धारित जातिगत पहचान की प्रासंगिकता में कमी आने के कारण राजनीतिक दलों के लिए मात्र जतिगत आधार पर उम्मीदवार तय करना अब आसान नहीं रह गया है. इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में उतारने में परहेज़ करेंगे,क्योंकि उनकी लोकप्रियता इन भावनाओं को उभाड़ने से होने वाले तुलनात्मक लाभ पर निर्भर करती है. आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में दागी उम्मीदवारों को राज्य की विधानसभाओं के चुनावों में खड़ा करने की संभावना औसतन 13 प्रतिशत कम हो जाती है.

इसी तर्क के आधार पर हम देखते हैं कि राज्यसभा में परोक्ष रूप में चुने गए सांसदों में अपनी समकक्ष संस्था लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप में चुने जाने वाले सांसदों की तुलना में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की संख्या कम है,क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लोकप्रिय मतदान से नहीं होता. इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्हें चुनने वाले विधायकों के लिए जातिगत पहचान कोई मायने नहीं रखती. यदि जाति या धर्म आदि की पहचान ही राजनीतिक दलों के लिए आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को चुनने का मुख्य कारण है तो यह कारण परोक्ष चुनाव में कोई मायने नहीं रखता.

भारतीय लोकतंत्र में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की मौजूदगी का क्या मतलब है? शिक्षाविदों में इस बात को लेकर आम सहमति है कि मुक्त और उचित चुनावों के संदर्भ में "खराब राजनीतिज्ञ" इस बात के प्रमाण हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक जवाबदेही का अभाव है. फिर भी भारतीय स्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि आपराधिक छवि वाले राजनीतिज्ञों और जवाबदेही परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के अनुरूप ही हैं. मतपेटियों के साथ आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की लोकप्रिय गलबहियों का अनिवार्य रूप में यही अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि चतुर राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दलों के नेता भारत के मतदाताओं को मूर्ख बना रहे हैं; वास्तव में यह भी हो सकता है कि कई नागरिक अपने हित में ही ऐसी गणनाएँ करते रहते हैं.मतदाता न अज्ञानी हैं और न ही तथ्यों से बेखबर; वे सिर्फ़ केवल यही देख रहे हैं कि कौन-सा उम्मीदवार ऐसा है जो उनका प्रतिनिधि बनने के लायक है.

भारत के अपराधी राजनीतिज्ञों को जानकारी की कमी के बजाय महत्वाकांक्षा के एक मुद्दे के रूप में देखना सार्वजनिक नीति का ही परिणाम है. वस्तुतः निरंतर होते अनुसंधान से यह पता चलता है कि यह पहचान की राजनीति है जिसमें अपराधियों की राजनीतिक अपील भी (जिसमें पैसे की ताकत एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करती है) मिली हुई है. इस संदर्भ में पहचान की राजनीति को लेकर हैरान नहीं होना चाहिए,जैसा कि अमरीका जैसे विकसित लोकतांत्रिक देशों के अनुभवों को देखकर स्पष्ट हो जाता है. भ्रष्ट पूर्व मैसाचुएट्स राजनीतिज्ञ माइकल कर्ले और वाशिंगटन डीसी के पूर्व मेयर मैरियन बैरी की चुनावी सफलता से पता चलता है कि आपराधिक गतिविधियों में संलग्न उम्मीदवारों के लिए तो यह गौरव की ही बात होती है, खास तौर पर उन स्थानों में जहाँ सामाजिक भेदभाव की खाई बहुत चौड़ी होती है. कतई शर्मिंदा न होने वाले भ्रष्ट चार बार चुने गए लुज़ियाना के पूर्व गवर्नर ऐडविन ऐडवर्ड्स ने हाल ही में स्वीकार किया, “हम सब जानते हैं कि वह चोरी करने जा रहा है,लेकिन उसने हमें बताया कि वह चोरी करने जा रहा है.”

मिलन वैष्णव कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान में डॉक्टरेट के शोधार्थी हैं और वैश्विक विकास केंद्र, वाशिंगटन डीसी की विचार सरणी (थिंक टैंक) में विज़िटिंग फ़ैलो हैं.

हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, भारत सरकार
<malhotravk@hotmail.com>